



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2012—भाद्र 23, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2012

सूचना

क्र. एफ 3-183-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 16 जुलाई 2012 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं :—

नियम

अध्याय—एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 है।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973);
- (ख) “संयोजक” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17-क की उपधारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी;
- (ग) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (घ) “जनसंख्या” से अभिप्रेत है, नवीनतम प्रकाशित जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार जनसंख्या;
- (ङ) “धारा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा.

3. नियमों का लागू होना.—ये नियम यथास्थिति क्रमशः धारा 4 या 13 या 64 के अधीन गठित प्रदेशों, निवेश क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों को क्रमशः लागू होंगे।

अध्याय—दो
अधिकारियों के संवर्ग

4. संचालक की सहायता हेतु अधिकारी.—राज्य सरकार, सहायक संचालक, उप संचालक, संयुक्त संचालक, अपर संचालक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें कि वह समय-समय पर उचित समझे संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सहायता के लिए नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय—तीन
प्रादेशिक योजना

5. प्रादेशिक योजना के प्रारूप के प्रकाशन के लिये सूचना का प्रस्तुति.—धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया प्रादेशिक योजना के प्रारूप के विषय में सूचना, प्रस्तुति-एक में प्रकाशित की जाएगी।

6. प्रादेशिक योजना प्रारूप की सूचना के प्रकाशन की रीति.—इसमें इसके ऊपर नियम 5 के अधीन सूचना,

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र में; और

(ख) कम से कम ऐसे दो हिन्दी समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन उस प्रादेशिक क्षेत्र में हो, प्रकाशित की जाएगी—

ऐसी सूचना, नगर तथा ग्राम निवेश, संबंधित संभागीय आयुक्तों एवं कलक्टर कार्यालयों के सूचना पटल पर, प्रस्तावित प्रादेशिक योजना के संबंध में व्यक्तियों से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए चस्पा भी की जाएगी।

7. सुनवाई का अवसर.—संचालक, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त समस्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा और सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। उसके पश्चात् ऐसे उपांतरणों के साथ जैसे कि वह आवश्यक समझे, प्रादेशिक योजना तैयार की जायेगी और राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

8. प्रादेशिक योजना के अनुमोदन के लिये सूचना के प्रकाशन की रीति.—धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सूचना, प्रस्तुति-दो में होगी और,—

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र में ; और

(ख) कम से कम ऐसे दो हिन्दी समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन उस प्रादेशिक क्षेत्र में ज्यादा हो, प्रकाशित की जाएगी—

ऐसी सूचना, संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, संभाग आयुक्त एवं कलक्टर के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा की जाएगी।

9. प्रादेशिक योजना के प्रारूप में उपांतरण के लिए सूचना.—धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन प्रादेशिक योजना प्रारूप में अपेक्षित उपांतरण की सूचना राजपत्र, में प्रस्तुति-तीन में और कम से कम ऐसे दो हिन्दी समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन संबंधित क्षेत्र में हो, प्रकाशित किए जाएंगे। वर्तमान भू उपयोग नक्शे, संबंधित संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश तथा नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान जन सामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

अध्याय—चार
निवेश क्षेत्र और विकास योजनाएं

10. वर्तमान भू उपयोग नक्शे पर आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए सूचना के प्रकाशन की रीति.—धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन वर्तमान भू उपयोग के नक्शे, प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन की कालावधि के भीतर, आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रस्तुति-चार में मध्यप्रदेश राजपत्र में तथा कम से कम ऐसे दो हिन्दी समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन संबंधित क्षेत्र में हो, प्रकाशित किए जाएंगे। वर्तमान भू उपयोग नक्शे, संबंधित संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश तथा नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान जन सामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

11. वर्तमान भू उपयोग नक्शों को स्वीकार करने तथा अंतिम प्रकाशन की रीति.—धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुति-पांच में एक सार्वजनिक सूचना,—

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र में ; और

(ख) कम से कम ऐसे दो हिन्दी समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन निवेश क्षेत्रों में हो, प्रकाशित की जाएगी—

जिसमें सूचित किया जाएगा कि वर्तमान भू उपयोग नक्शे को संचालक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और वह संबंधित संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश तथा नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों में, कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

12. धारा 17-क के अधीन गठित समिति के कृत्य—(1) राज्य सरकार, धारा 17-क की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित विकास/परिक्षेत्रिक योजना के प्रारूप के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई करने के लिए एक समिति का गठन करेगी।
- (2) प्राप्त आपत्तियां अभिलिखित करने एवं समिति के सम्मिलनों का संचालन करने तथा प्रारूप योजना में उपांतरण करने या उन्हें बदलने के संबंध में इसकी अनुशंसाएं अभिप्राप्त करने की रीति निम्नानुसार होगी:—
- (क) समिति का संयोजक, प्रारूप योजना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, प्राप्त समस्त आपत्तियां तथा सुझावों को, प्ररूप-छह में विहित फार्मेट में संकलित करेगा। ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो एक समान प्रकृति के हो, यथासंभव एक ही समूह में अभिलिखित किए जाएंगे;
 - (ख) संयोजक, ऐसे लोगों के नाम अभिलिखित करेगा जिन्होंने प्रारूप योजना के प्ररूप-छ: में प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं तथा संयोजक, प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण भी तैयार करेगा;
 - (ग) ऊपर खण्ड “क” में उल्लिखित प्ररूप-छ: में तैयार अभिलेख, प्रारूप के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन की कालावधि का अवसान होने से पन्द्रह दिन के भीतर संकलित किए जाएंगे;
 - (घ) समिति का प्रथम सम्मिलन प्रारूप के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन की कालावधि का अवसान होने के दिनांक से 21 दिन की कालावधि के भीतर आहूत किया जाएगा;
 - (ङ) संयोजक, समिति के प्रथम सम्मिलन में प्रकाशित प्रारूप योजना का संक्षिप्त विवरण तथा प्राप्त और अभिलिखित की गई आपत्तियों तथा सुझावों को भी प्रस्तुत करेगा। वह प्रारूप विकास योजना के नक्शे पर आपत्तियों तथा सुझावों के स्थान दर्शित करेगा;
 - (च) यथा उपरोक्त संकलित की गई आपत्तियों और सुझावों की साफ्ट कापी, किसी सदस्य को, यदि वह ऐसी वांछा करे, उपलब्ध कराई जाएगा।
 - (छ) संयोजक, समिति के प्रथम सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों से परामर्श के पश्चात् समस्त आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई पूरी करने के लिए अपेक्षित आगामी सम्मिलन का दिनांक ऐसी रीति में नियत करेगा जिससे प्रारूप योजना के प्रकाशन के दिनांक से 90 दिन के भीतर सुनवाई पूरी हो जाए;
 - (ज) समिति के सदस्य को सम्मिलन में, उसकी ओर से उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नामनिर्देशित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को सम्मिलन की कार्यवाही में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि संयोजक, ऐसे अन्य पदाधिकारियों को उपस्थित बने रहने की अनुमति दे सकेगा जिन्हें कि वह अपनी सहायता के लिए आवश्यक समझें;
 - (झ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम प्ररूप-छ: में तैयार अभिलेख में सम्मिलित किया गया है, संयोजक द्वारा प्ररूप-सात में, सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 7 दिन पूर्व, लिखित में सूचना जारी की जाएगी;
 - (ञ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या को, जिन्हें समिति द्वारा किसी विशिष्ट दिन सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए खण्ड “झ” के अधीन सूचना जारी की गई है, ऐसी रीति में अवधारित किया जायेगा जिससे कि कार्यवाहियां शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चलाई जा सकें;

- (ट) संयोजक, सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अभिप्राप करेगा। सदस्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने की दशा में, संयोजक, रजिस्टर में इस बात की प्रविष्टि करेगा;
- (ठ) समिति की कार्यवाहियां, उसके सम्मिलन के लिए नियत समय पर शुरू हो जाएंगी और उसके लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी। उन व्यक्तियों को, जिन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना जारी की गई है, पृथक्-पृथक् या समूह में, जैसा कि संयोजक द्वारा विनिश्चित किया जाए, बुलाया जा सकेगा।
- (ड) किसी व्यक्ति से जो समिति के समक्ष सुनवाई के लिए उपसंजात होता है, उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी और यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है तो संयोजक इस प्रकार इंकार किए जाने को रजिस्टर में अभिलिखित करेगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात हो सकेगा;
- (ढ) संयोजक, किसी नये तथ्य का, जो सुनवाई के दौरान उठाया जाए, संक्षिप्त विवरण तैयार करेगा। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज, यदि कोई हों को भी अभिलिखित किया जायेगा। ये अभिलेख प्ररूप-आठ में तैयार किए जाएंगे;
- (ण) समिति द्वारा सभी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करा देने के पश्चात्, संयोजक, कलक्टर से परामर्श करके, सम्मिलन की आगामी तारीखें नियत करेगा जिनमें समिति प्राप्त या/और सुनी गई आपत्तियों और सुझावों पर अपनी अनुशंसाएं तैयार करेगी;
- (त) समिति, उस तारीख से, जिसको कि प्रारूप का प्रकाशन हुआ था, 135 दिन की कालावधि के भीतर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप देगी;
- (थ) समिति, अपनी अनुशंसाएं यथासंभव, सर्व सम्मति से करेगी किन्तु जहां ऐसा संभव नहीं हो वहां निर्णय, निर्णय के समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान के आधार पर किया जाएगा। बहुमत का निर्धारण, संयोजक द्वारा लोगों की गिनती कर किया जाएगा एवं मतदान का कोई और तरीका अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (द) जहां खण्ड (थ) में उल्लिखित तरीके से निर्धारित बहुमत के आधार पर विनिश्चय लिया जाता है, वहां संयोजक, उपस्थित ऐसे सदस्यों की संख्या, जिन्होंने पक्ष में या विरोध में मतदान किया हो या जो मतदान के दौरान प्रविरत रहे हों, अभिलिखित करेगा;
- (ध) बहुमत के आधार पर एक बार की गई अनुशंसा किसी भी रीति में चाहे वह कुछ भी हो, पुनरीक्षित या चापस नहीं ली जाएगी या संशोधित नहीं की जाएगी। शंका के समाधान हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही उन सदस्यों की संख्या, उन सदस्यों से, जिनसे मतदान के समय बहुमत बना था, अधिक हो, पूर्व में की गई अनुशंसाओं में कोई उपांतरण की मांग करते हैं, तब भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा;
- (न) समिति, प्राप्त आपत्तियों पर अनुशंसाएं देने के अतिरिक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में उपांतरणों और परिवर्तनों के संबंध में अपने स्वयं के सुझाव भी दे सकेगी। केवल ऐसे सुझाव, जो कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किए गए हों, अभिलिखित किए जाएंगे;
- (प) संयोजक, आपत्तियों और/या सुझावों की अवस्थिति को दर्शित करते हुए नक्शों की साफ्ट प्रतियों सहित, समिति की अनुशंसाओं को सम्पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित प्रतिवेदन सहित, तीन प्रतियों में संचालक को इस प्रकार प्रस्तुत करेगा ताकि वे प्रारूप योजना के प्रकाशन की तारीख से छः माह के भीतर उस तक पहुंच जाएं; और
- (फ) यदि संयोजक द्वारा विनिश्चित किया जाए, समिति के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जा सकेगी।

13. प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन की रीति.—धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन प्रारूप विकास योजना, प्ररूप-नौ में एक सूचना के साथ उक्त प्रारूप योजना पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए, ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर,—

- (क) मध्यप्रदेश राजपत्र में, और
 (ख) संबंधित क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो हिन्दी समाचार पत्रों में,

यह कथन करते हुए प्रकाशित की जाएगी कि प्रारूप विकास योजना धारा 14 के अधीन तैयार की गई है और वह संबंधित संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश तथा नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान जनसामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

14. अनुमोदित विकास योजना के प्रकाशन की रीति.—धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन, प्रारूप-दस में, एक सार्वजनिक सूचना,—

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र में, और

(ख) योजना क्षेत्र में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम दो हिन्दी समाचार पत्रों में,

प्रकाशित की जाएगी—

यह सूचित करते हुए कि विकास योजना, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और वह संबंधित संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश तथा नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान जनसामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

15. विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण.—(1) धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विकास योजना अथवा परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण हेतु आवेदन, प्रारूप-ग्राहक में, राज्य सरकार को किया जाएगा। ऐसा आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा किया जाएगा। जहां आवेदित भूमि संयुक्त रूप से धारित हो, वहां आवेदन किसी एक भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसके साथ सह-भूस्वामियों द्वारा आवेदक को ऐसा करने हेतु शपथ-पत्र के माध्यम से अधिकृत किया गया हो, संलग्न होगा।

(2) ऊपर उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रारूप-ग्राहक में उल्लिखित दस्तावेज तथा उस भूमि के या उसके भाग के लिए जिस पर उपांतरण हेतु आवेदन किया गया है, रुपये 5,000/- प्रति हैक्टर या आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, इस प्रकार प्राप्त आवेदन संचालक को भेज सकेगी।

(4) (क) संचालक, उपनियम (3) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त आवेदन को, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, जिसे व्हीपीएस कहा जाएगा, को एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजेगा। आवेदक को आवेदन की ओर उसमें के दस्तावेजों की उतनी साफ्ट प्रतियां जितनी कि व्हीपीएस द्वारा अपेक्षित की जाएं। प्रस्तुत करनी होंगी और वह ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए व्हीपीएस को ऐसी फीस, जैसी कि उसके द्वारा निर्धारित की गई हो, का भुगतान भी करेगा।

(ख) व्हीपीएस, आवेदन की एक प्रति दस्तावेजों तथा उस पर अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधित जिला कार्यालय के भारसाधक अधिकारी को टिप्पणी हेतु भेजेगा।

(ग) व्हीपीएस प्रस्तावित भूमि उपयोग उपान्तरण के संबंध में संबंधित शासकीय विभागों/संस्थाओं से अभिमत प्राप्त कर सकेगा। यदि संबंधित शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा 21 दिनों में अभिमत नहीं दिया जाता है तो प्रस्तावित भूमि उपयोग उपान्तरण के संबंध में उनकी सहमति मानी जावेगी।

(घ) व्हीपीएस, जिला कार्यालय की टिप्पणी एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन, संचालक को प्रस्तुत करेगा।

(5) निम्नलिखित से बनने वाली समिति, व्हीपीएस द्वारा तैयार तथ्यात्मक प्रतिवेदन का तथा इसमें इसके ऊपर उपनियम (4)(ख) के अधीन जिला कार्यालय की टिप्पणी एवं उपनियम (ग) अन्तर्गत प्राप्त प्रतिक्रियाओं का भी परीक्षण करेगी।

1.	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	-	अध्यक्ष
2.	संबंधित संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक	-	सदस्य
3.	आयुक्त/संबंधित नगरीय स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती	-	सदस्य

4.	जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जहां वह क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में आता है अथवा उसका नामनिर्देशिती।	-	सदस्य
5.	संबंधित नगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उसका नामनिर्देशिती	-	सदस्य
6.	मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का परियोजना संचालक	-	सदस्य सचिव
7.	संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर योजनाकार/ नगरीय योजनाकार।	-	सदस्य

(6) आवेदक को समिति के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। संचालक, यदि अपेक्षित हो, आवेदक या विकास प्राधिकरण संघ को ऐसी अतिरिक्त जानकारी जैसी कि आवश्यक समझी जाए, देने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

(7) समिति, उपांतरणों के उक्त आवेदन पर लिए अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(8) राज्य सरकार, उपनियम (7) के अधीन समिति से अनुशंसाएं प्राप्त होने पर प्ररूप-बारह में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर सकेगी। ऐसी सूचना कम से कम एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में, जिनका संबंधित नगर में व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित की जाएगी। प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे, आम जनता को निरीक्षण हेतु जिले के भार साधक संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक के कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उन्हें आवास एवं पर्यावरण विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। सूचना की प्रति, संबंधित जिला कलक्टर, नगरीय स्थानीय प्राधिकारी एवं जिला पंचायत को उनके सूचना पटल पर चर्चा करने हेतु भी भेजी जाएगी।

(9) राज्य सरकार, उपनियम (7) के अधीन समिति से अनुशंसाएं प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दिए हों, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी।

(10) राज्य सरकार, आपत्तियों/सुझावों पर तथा समिति की अनुशंसाओं पर भी विचार करने के पश्चात्, ऐसी रीति में जैसी कि वह समुचित समझे, योजना में परिवर्तन कर सकेगी। इस प्रकार किए गए उपांतरण विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना का अभिन्न अंग हो जाएंगे।

(11) राज्य सरकार, उपरोक्त उपनियम (10) के अंतर्गत योजना को उपांतरित करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जैसी कि वह उचित समझे।

(12) राज्य सरकार, उपनियम (10) के अधीन विकास योजना अथवा परिक्षेत्रिक योजना में कोई उपांतरण करते समय विकास योजना में अनुशेय तल क्षेत्र अनुपात की सीमाओं को उपांतरित नहीं करेगी। किसी भी प्रकार की शंका को दूर करने की दृष्टि से यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस नियम के अधीन किसी क्षेत्र के भू उपयोग की श्रेणी उपांतरित की जाती है तो संबंधित विकास योजना में ऐसे उपांतरित भू-उपयोग के लिए विहित तल क्षेत्र अनुपात लागू होगा।

(13) (क) उस दशा में, जहां कि उपांतरित भू उपयोग, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित किए गए अनुसार है वहां आवेदक को उसमें कालम (3), (4) या (5) जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित किए गए अनुसार संगणित कर का भुगतान करना होगा।

अनुक्रमांक	उपांतरित भू-उपयोग	लेहंही कर (भूमि के बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में)			नियम 13 (ख) में उल्लिखित तल क्षेत्र अनुपात फैक्टर (ए) का मूल्य
		निवेश क्षेत्र की जनसंख्या	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आवासीय	5.50	7.00	8.50	1.00
2	वाणिज्यिक/मिश्रित	6.00	8.00	10.00	1.50
3	पीएसपी एवं अन्य	3.00	3.50	4.00	0.75

(ख) भूमि का बाजार मूल्य, जहां कि उपांतरित भू-उपयोग उपरोक्त कॉलम (2) में उल्लिखित किए गए अनुसार हो, निम्नानुसार संगणित किया जाएगा:—

भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) $\times (A) \times$ विकसित आवासीय भू-खण्ड के लिए उस क्षेत्र में, जहां कि भूमि स्थित है, प्रचलित कलक्टर गाईड लाइन दर प्रति वर्गमीटर. जहां उस क्षेत्र के लिए जहां कि भूमि स्थित है, विकसित आवासीय भूखण्डों के लिए गाईड लाइन की दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां निकटतम आवासीय क्षेत्र की गाईड लाइन दरें ली जाएंगी. निकटतम आवासीय क्षेत्र ऐसा होगा जैसा कि संचालक द्वारा विनिश्चित किया जाए. उपरोक्तानुसार बाजार मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस आवासीय क्षेत्र पर विचार किया जाएगा जिसमें तल क्षेत्र अनुपात कम से कम 1 हो.

(14) (क) उस दशा में, जहां कि उपांतरित भू-उपयोग, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित किए गए अनुसार प्रस्तावित है वहां धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उपांतरण के लिये आवेदन विचार किए जाने के लिए केवल तभी स्वीकार किया जायेगा जब उस भूमि का कुल क्षेत्रफल, जिसके लिए भू-उपयोग में उपांतरण चाहा गया है, नीचे कालम (3), (4) या (5) जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित किए गए क्षेत्रफल से कम न हो—

अनुक्रमांक	उपांतरित भू-उपयोग	निम्नलिखित जनसंख्या वाले योजना क्षेत्रों के लिए		
		5 लाख से कम क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	5 लाख से 10 लाख तक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	10 लाख तथा उससे अधिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आवासीय अथवा मिश्रित	2.00	4.00	6.00
2	वाणिज्यिक	0.50	1.00	1.50
3	औद्योगिक	5.00	7.50	10.00

(ख) उन मामलों में जहां कि उपांतरण के पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक या औद्योगिक से भिन्न हो वहां धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की कोई शर्त नहीं होगी. भूमि उपयोग उपांतरण हेतु आवेदित भूमि सामान्यतः एक खण्ड में होगी.

(ग) उपरोक्त सारणी में उल्लेखित क्षेत्रफल की गणना हेतु केवल वह भूमि ली जावेगी जो कि आवेदक के स्वामित्व की हो या आवेदकों के संयुक्त स्वामित्व की हो.

नोट.—किसी भी प्रकार की शंका के समाधान हेतु यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि दो या अधिक, अलग-अलग भूमियों के भूस्वामी, इस नियम अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम भूमि के क्षेत्रफल की पूर्ति की दृष्टि से संयुक्त आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे.

16. धारा 23-ख की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात की मंजूरी.—(1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से अथवा आवेदन दिए जाने पर या संचालक की सलाह पर, निवेश क्षेत्र के भीतर ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर सकेगी, जिनके कि तल क्षेत्र अनुपात में, विकास योजना में अनुज्ञेय सीमाओं के अतिरिक्त वृद्धि करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(2) (क) इस प्रकार पहचान कर लिए जाने के पश्चात्, राज्य सरकार, समिति को निम्नलिखित के बारे में निर्धारण करने का निर्देश दे सकेगी,—

(एक) पहचाने गए क्षेत्रों में अनुज्ञात किए गए अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का प्रभाव; और

(दो) प्रस्तावित अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का भार वहन करने के लिये अधोसंरचना की पर्याप्तता.

2.	संबंधित जिले के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का प्रभारी अधिकारी।	-	सदस्य
3.	संबंधित नगरीय स्थानीय प्राधिकरण का आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका का अधिकारी।	-	सदस्य
4.	संबंधित जिले की जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह क्षेत्र उसकी अधिकारिता में आता हो।	-	सदस्य
5.	संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई नगर नियोजक	-	सदस्य
6.	संबंधित विकास प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी।	-	सदस्य
7.	परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ	-	सदस्य सचिव।

अनुक्रमांक 3, 4 तथा 6 पर उल्लिखित सदस्य अपने प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

टिप्पणि।—उस दशा में, जहां कि पहचान किया गया क्षेत्र किसी नगरीय निकाय सीमा के बाहर किन्तु उसके आसपास स्थित हो, ऐसे नगरीय निकाय का आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी सदस्य होगा;

(ख) समिति, विद्यमान अधोसंरचना के बारे में एक विस्तृत टिप्पण तैयार करेगी, जिसमें सड़कें, मल व्यवस्था, ऊर्जा, जल आपूर्ति, जल निकास, जनसंख्या घनत्व, यातायात संबंधी गतिविधि, अपशिष्ट व्ययन तथा ऐसे अन्य मुद्रे सम्मिलित होंगे जिन्हें कि समिति समुचित समझे। समिति, उपरोक्त उपनियम (2) के खण्ड (क) में अपेक्षित, निर्धारण से जुड़े हुए मामलों पर उसे सलाह देने के लिए संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकेगी।

(ग) राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली समिति की अनुशंसाओं में सम्मिलित होंगे,—

(एक) पहचान किए गए क्षेत्रों में विद्यमान अधोसंरचना का निर्धारण;

(दो) तल क्षेत्र अनुपात में प्रस्तावित वृद्धि को पक्का करने की दृष्टि से विद्यमान अधोसंरचना की पर्याप्तता;

(तीन) अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात जो पहचान किए गए क्षेत्र के भीतर या उसके आसपास अपेक्षित हो; और

(चार) कोई अन्य विषय जो आवश्यक समझा जाए।

(3) राज्य सरकार, समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात्, धारा 23-ख की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्ररूप-तेरह में, एक सूचना, ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर तल क्षेत्र अनुपात में प्रस्तावित वृद्धि पर सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। ऐसी सूचना में ऐसे क्षेत्र की सीमाओं तथा तल क्षेत्र अनुपात में प्रस्तावित वृद्धि की सीमा का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(4) पहचान किया गया तथा उक्त सार्वजनिक सूचना में वर्णित क्षेत्र 5 हैक्टर से कम नहीं होगा।

(5) प्ररूप-तेरह में सूचना दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से हिन्दी का ऐसा समाचार-पत्र होना चाहिए जिसका संबंधित निवेश क्षेत्र में व्यापक प्रचालन हो। ऐसी सूचना संबंधित नगरीय स्थानीय प्राधिकरण, जिला कलक्टर तथा नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय के सूचनाफलक पर भी चस्पा की जाएगी।

(6) राज्य सरकार, उन समस्त व्यक्तियों को जिन्होंने अपने सुझाव तथा आपत्तियां दी हों, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई की तारीख के कम से कम सात दिन पूर्व सूचित किया जाएगा।

(7)(क) राज्य सरकार, प्राप्त हुए सुझावों/आपत्तियों पर तथा समिति की सिफारिशों पर भी विचार करने के पश्चात् पहचान किए गये क्षेत्र अथवा उसके भाग में जैसा कि वह समुचित समझे, अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात की सीमा निर्धारित कर सकेगी। इस प्रकार निर्धारित किया गया अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात प्ररूप-चौदह में, आम जनता की जानकारी के लिए दो समाचार-पत्रों में, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से हिन्दी का ऐसा समाचार-पत्र होना चाहिए जिसका संबंधित योजना क्षेत्र में व्यापक प्रचालन हो प्रकाशित किया जाएगा। उसे राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात की सीमा विकास/परिक्षेत्रिक योजना का अभिन्न अंग समझा जाएगा और वह राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवर्तन में आएगा। उपनियम (8) के अधीन आवेदन किया जाने पर तथा नीचे उपनियम (9) में भी उल्लिखित राशि का भुगतान किए जाने पर यदि संचालक द्वारा अनुज्ञा दे दी जाती है तो पहचान किए गए क्षेत्र के भीतर ऐसे अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का उपयोग किया जाएगा।

(ख) अनुज्ञात किया गया अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात, लागू विकास योजना में पूर्व से ही अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(8) (क) उपनियम (7) में अधिसूचित किए गए अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का लाभ लेने के लिए आवेदन, प्ररूप-पन्द्रह में संचालक को किया जाएगा। ऐसे आवेदन के साथ इस प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेज तथा 5,000/- रुपये का शुल्क संलग्न किया जायेगा। संचालक, आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् ऊपर उपनियम (7) के अधीन अनुज्ञात सीमा तक आवेदक को अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात की अनुमति दे सकेगा। एवं अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात मंजूर किए जाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब प्रश्नाधीन भू-खण्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किए गए ले-आउट प्लान का भाग हो।

(ख) अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात की मंजूरी के लिए आवेदन पर केवल उसी दशा में विचार किया जाएगा जहां प्रश्नगत भूखण्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अधिन्यास का भाग है।

(9)(क) आवेदक को उपनियम (8) के अधीन स्वीकार्य अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात की कोई अनुमति जारी किए जाने के पूर्व अतिरिक्त समतुल्य भूमि के बाजार मूल्य के एक चौथाई के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

(ख) ऊपर खण्ड (क) में उल्लिखित अतिरिक्त समतुल्य भूमि भूखण्ड के क्षेत्र (वर्गमीटर में) \times [(मंजूर किए गए अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात) लागू विकास योजना के अधीन अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात के समतुल्य होगी]।

(ग) अतिरिक्त समतुल्य भूमि का बाजार मूल्य, जहां प्रश्नाधीन भूखण्ड का भू-उपयोग आवासीय है, अतिरिक्त समतुल्य भूमि (वर्गमीटर में) \times उस क्षेत्र में लागू विकसित आवासीय भू-खण्ड (वर्गमीटर में) के लिए प्रचलित कलक्टर गाइड लाइन की दर (प्रति वर्गमीटर) \times विकास योजना के अधीन उस क्षेत्र के लिए अनुज्ञात किए गए तल क्षेत्र अनुपात के समतुल्य होगा या 1.00 जो भी कम हो।

(घ) अतिरिक्त समतुल्य भूमि का बाजार मूल्य, जहां कि प्रश्नाधीन भू-खण्ड का भू-उपयोग, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित किए गए अनुसार है, ऐसा होगा जैसा कि सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित किया गया गया है।

अनुक्रमांक (1)	भूखण्ड का भू-उपयोग (2)	अतिरिक्त समतुल्य भूमि का बाजार मूल्य (3)
1	वाणिज्यिक तथा मिश्रित	नीचे दिए गए टिप्पण के अनुसार संगणित किए गए बाजार मूल्य का 150 प्रतिशत
2	पी.एस.पी.	नीचे दिए गए टिप्पण के अनुसार संगणित किए गए बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत
3	औद्योगिक व अन्य	नीचे दिए गए टिप्पण के अनुसार संगणित किए गए बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत

टिप्पण. 1—अतिरिक्त समतुल्य भूमि (वर्गमीटर में) \times विकसित आवासीय भू-खण्ड (वर्गमीटर में) का उस क्षेत्र को लागू प्रचलित कलक्टर गाइड लाइन दर (प्रति वर्गमीटर)।

(ड) उस दशा में जहां कि उस क्षेत्र के लिए, जिसमें कि अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात मंजूर नहीं किया जा सकता हो, विकसित आवासीय भू-खण्डों की गाइड लाइन दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां निकटतम आवासीय क्षेत्र की दरें लागू होंगी। ऐसा निकटतम आवासीय क्षेत्र संचालक द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(च) उपरोक्त बाजार मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ऐसे आवासीय क्षेत्र पर विचार किया जाएगा जिसमें तल क्षेत्र अनुपात कम से कम 1.00 हो।

अध्याय-पांच

भूमि के विकास और उपयोग का नियंत्रण

17. संघ अथवा राज्य सरकार की ओर से विकास प्रारंभ करने का आशय—जहां संघ अथवा राज्य सरकार का आशय किसी भूमि का विकास करने का हो वहां संबंधित सरकार का प्राधिकृत अधिकारी अपने ऐसे आशय की सूचना संचालक को लिखित में प्रस्तावित विकास प्रारंभ करने के कम से कम 30 दिन पूर्व देगा। ऐसी सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज तथा विशिष्टियां संलग्न की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) भूमि का विवरण (उस सड़क/उन सड़कों के नाम सहित अवस्थिति जिस पर कि भूमि स्थित है तथा इसकी सीमाएं).

(ख) प्रश्नाधीन भूमि के खसरा नम्बर तथा साथ ही भूमि की बाहरी सीमाओं से 200 मीटर के भीतर आने वाले आसपास के खसरा नम्बर दर्शने वाली खसरा योजना। खसरा नक्शे में प्रश्नाधीन भूमि को लाल स्याही से दर्शाया जाएगा।

(ग) प्रश्नाधीन भूमि का, मुख्य पहुंच मार्गों तथा आसपास के अन्य महत्वपूर्ण भवनों को दर्शने वाला लोकेशन प्लान।

(घ) 1:500 से 1:2000 के मान (स्केल) में सर्वेक्षण रेखांक दिया जायेगा, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमाएं और प्रश्नाधीन भूमि की सीमाओं से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भौतिक विशिष्टताएं जैसे नाला, जलाशय, वृक्ष, ढलान, समोच्च रेखांक, यदि भूमि असमतल हो, उच्च बोल्टता लाइन (हाइटेंशन लाइन), वर्तमान मार्ग की स्थिति एवं मार्ग का अधिकार (राइट ऑफ वे) दर्शाते हुए रेलवे लाइनें एवं रेलवे भूमि की सीमाएं, विद्युत् एवं दूरभाष खंबों की स्थिति और अन्य ऐसी समस्त विशेषताएं एवं विकास की स्थिति दर्शाएंगा, जिनकी प्रश्नाधीन भूमि एवं आसपास के क्षेत्रों से समन्वय किए जाने के लिए आवश्यकता हो।

(ड) प्रश्नाधीन भूमि के बारे में सामान्य रिपोर्ट सहित समस्त विकास प्रस्तावों को दर्शने वाला एक रेखांक जिससे कि स्कीम स्वतः स्पष्ट हो जाए। ऐसे रेखांक में विभिन्न उपयोगिताओं तथा सेवाओं जैसे कि जल आपूर्ति, जल निकास, विद्युत् तथा मलवहन प्रणाली की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

(च) वास्तुविदीय संबंधी ऐसे अन्य व्यौरे जो कि संचालक द्वारा अपेक्षित किए जाएं।

(छ) प्रस्तावित विकास के प्रकार अर्थात् आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित अथवा कोई अन्य को दर्शने वाला एक टिप्पण।

(ज) नियुक्त किये गए रजिस्ट्रीकृत योजनाकार/वास्तुविद्/इंजीनियर का नाम तथा पता।

अध्याय-छः

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी

18. अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि—अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी। अध्यक्ष तथा सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा, उसकी पदावधि पूर्ण होने के पूर्व, किसी भी समय, ऐसे पद से, उसके लिए कोई कारण बताए बिना हटाया जा सकेगा।

19. नगर विकास स्कीम का तैयार किया जाना—(१) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी नगर विकास स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) ऊपर वर्णित पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकारी, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन स्कीम तैयार किए जाने के अपने आशय की घोषणा करेगा। ऐसे आशय की घोषणा उसे प्ररूप-सोलह में, कम से कम दो ऐसे हिन्दी समाचार-पत्रों में जिनका उस योजना क्षेत्र में, जिसमें कि ऐसी स्कीम आती है, व्यापक प्रचालन हो, प्रकाशित करके की जाएगी। सूचना की प्रतियां संबंधित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के कार्यालयों के सूचनाफलक पर भी चस्पा की जाएगी।

(3) उपरोक्त उपनियम (1) में वर्णित आशय की घोषणा से तीस दिन के भीतर, प्राधिकारी, धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन, प्ररूप-सत्रह में, एक नगर विकास स्कीम तैयार करने के अपने आशय की घोषणा करते हुए एक सार्वजनिक सूचना—

(क) राजपत्र में; और

(ख) कम से कम ऐसे दो हिन्दी समाचार-पत्रों में, जिनकी उस योजना क्षेत्र में, जिसमें कि स्कीम आनी हो व्यापक प्रचालन हो, प्रकाशित करेगी। सूचना की प्रतियां संबंधित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी तथा नगर तथा ग्राम निवेश के विभाग के कार्यालय के सूचनाफलक पर भी चस्पा की जाएगी।

(4) उपरोक्त उपनियम (3) के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन, प्ररूप-अठारह में, एक सार्वजनिक सूचना—

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र में; और

(ख) कम से कम दो हिन्दी समाचार-पत्रों में, जिनका उस योजना क्षेत्र में, जिसमें कि स्कीम आती हो, उक्त प्रारूप के संबंध में ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित करेगा।

ऐसा प्रारूप संबंधित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के कार्यालयों में, कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की तारीख से नौ मास के भीतर अपने प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए, संचालक को प्रस्तुत करेगा। संचालक से स्कीम के ले-आऊट का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, प्राधिकारी, प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर धारा 50 की उपधारा (7) के अधीन, प्ररूप-उन्नीस में एक सार्वजनिक सूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में तथा कम से कम ऐसे दो हिन्दी समाचार-पत्रों में भी, जिनका कि उस क्षेत्र में, जिसमें कि स्कीम आती हो, आम जनता को यह सूचित करते हुए प्रकाशित कराएगा कि नगर विकास स्कीम अंतिम रूप से अनुमोदित हो गई है और संबंधित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों में, कार्यालयीन समय के दौरान, निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

(6) यदि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50(7) में नगर विकास योजना के प्रकाशन पश्चात् कोई परिवर्तन प्रस्तावित करता है तो उसे संचालक से अभिन्यास को पुनः स्वीकृत कराना होगा।

20. भूमि का अर्जन.—(1) प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो उस शासकीय भूमि के आवंटन के लिए कलक्टर को आवेदन दे सकेगा जो कि स्कीम की सीमाओं के भीतर स्थित हो। ऐसे आवंटन के निर्बन्धन और शर्तें प्राधिकारी पर बंधनकारी होंगी।

(2) प्राधिकारी धारा 50 की उपधारा (7) के अधीन नगर विकास स्कीम का अंतिम रूप से प्रकाशन हो जाने के पश्चात्, तीन मास के भीतर, स्वामियों को साथ करार द्वारा उन्हें प्राधिकारी के साथ करार करने का विकल्प देते हुए स्कीम की सीमाओं के भीतर स्थित निजी भूमि अर्जित करने के लिए अग्रसर होगा।

(3) प्राधिकारी जहां स्वामी सहमत हो, प्ररूप-बीस में करार निष्पादित करेगा। राज्य सरकार, प्राधिकारी के निवेदन पर, किसी विशिष्ट नगर विकास स्कीम के लिए प्ररूप-बीस में उपांतरणों की अनुमति दे सकेगी।

(4) (क) यदि प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि करार के द्वारा अर्जन संभव नहीं है तो वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन उक्त भूमि अर्जित करने के लिए जिला कलक्टर से निवेदन कर सकेगा। ऐसे अर्जन पर उपगत होने वाला समस्त व्यय प्राधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त उपनियम (4)(क) के अन्तर्गत भू-अधिग्रहण के संबंध में कोई भी कार्यवाही की स्थिति क्यों न हो, प्राधिकरण भू-स्वामी के आवेदन पर, प्ररूप-बीस में अनुबंध कर सकेगा परन्तु, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध दिनांक तक यदि प्रांभ नहीं की गई हो।

(5) ऊपर उपनियम (3) तथा (4) के अधीन अर्जित की गई भूमि, उसके अर्जन के पश्चात् समस्त विल्लंगमों से मुक्त होकर प्राधिकारी में निहित हो जाएगी।

21. धन उधार लेने की शक्ति.—(1) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी अधिनियम की धारा 63 के अधीन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डिबेन्वर जारी करके धन उधार ले सकेगा।

(2) राज्य सरकार,—

(क) ऐसे डिबेन्वर जारी करके उधार ली जाने वाली धनराशि, उनके निर्गम मूल्य, मूल्य वर्ग, निबंधन और परिपक्वता तथा ब्याज की दर; और

(ख) वह रीति, जिसमें डिबेन्वरों के उन्मोचन के लिए निष्केप निधि गठित की जाएगी, इस बावत् असफल होने की दशा में की गई रिपोर्ट,

डिबेन्वरों में किया जाने वाला अभिदाय, वह अन्तराल, जिस पर कि डिबेन्वरों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, वे डिबेन्वर जो क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रचलन योग्य न रह गए हों, बदले जाएंगे, खो गए अथवा नष्ट हुए डिबेन्वरों को बदलने के लिए जारी नए डिबेन्वर तथा वह दर जिस पर कि दलाली तथा बीमा कराने के कमीशन का भुगतान किया जाएगा, निर्धारित करेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान के बारे में गारंटी लिए जाने पर ही डिबेन्वर जारी किए जाएंगे।

(4) प्राधिकारी, राज्य सरकार, की मंजूरी से किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था को जारी किए जाने के लिए डिबेन्वर या बंधपत्र आरक्षित रख सकेगा या हस्ताक्षरित कर सकेगा।

22. निबंधन तथा शर्तें जिनके कि अध्यधीन रहते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा उधार लिए जा सकेंगे.—(1) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, अधिनियम के प्रयोजन के लिए, लोकल अँथारटिज एक्ट, 1914 (1914 का 9) तथा इस प्रयोजन के लिए आयोजित विशेष सम्मिलन में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन उधार ले सकेगा :

परन्तु कोई भी उधार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा :

परन्तु यह और कि वे निबंधन जिन पर वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह रीति जिसके द्वारा उधार लिए जाएंगे और उनका पुनर्भुगतान किया जाएगा, इन नियमों के तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होंगे।

(2) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, राज्य सरकार की अनुमति से उपनियम (1) के अधीन लिए गए उधारों का पुनर्भुगतान करने के लिए एक निष्केप निधि संधारित करेगा तथा उसमें प्रतिवर्ष उतनी राशि जमा करेगा जितनी कि नियत कालावधि के भीतर इस प्रकार लिए गए उधारों का पुनर्भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो।

(3) निष्केप निधि अथवा उसके किसी भाग का जब तक कि ऐसे उधार का पूर्ण रूप से उन्मोचन न हो जाए, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

23. **अपील.**—अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई अपील में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे,—

- (क) उस आदेश की एक प्रति, जिसके कि विरुद्ध अपील फाइल की गई है;
- (ख) उन तथ्यों तथा आधारों का स्पष्ट विवरण जिन पर कि अपील प्रस्तुत की गई है;
- (ग) वह सहायता जिसके लिए प्रार्थना की गई है; और
- (घ) 500/- रुपये शुल्क संदर्भ कर दिए जाने का कोई सबूत.

24. **पुनरीक्षण.**—अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए पुनरीक्षण में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे,—

- (क) उस आदेश की एक प्रति जिसके कि विरुद्ध पुनरीक्षण फाइल किया गया है;
- (ख) उन तथ्यों तथा आधारों का स्पष्ट विवरण जिन पर कि पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है; और
- (ग) वह सहायता जिसके कि लिए प्रार्थना की गई है.

25. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 एतद्वारा, निरसित किए जाते हैं :—

- (क) ऐसे निरसन का उक्त नियमों के पूर्वप्रवर्तन पर अथवा उनके अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- (ख) इन नियमों के प्रवर्तन के समय लंबित निरसित नियमों के अधीन प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन जारी रहेगा और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा ;
- (ग) इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि ये नियम लागू होते हों, अपील करने के अधिकार से जो कि उसे इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन उपगत हुए हों, वंचित करती है .

प्रारूप-एक
(नियम 5 देखिए)

प्रारूप प्रादेशिक योजना के प्रकाशन के लिये सूचना

एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि —————— (प्रदेश) के लिए प्रारूप प्रादेशिक योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), के अध्याय-तीन में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में तैयार कि गई है और उसकी प्रति,—

1.
2.
3.

(संभागीय आयुक्त, संबंधित जिला कलक्टर एवं नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों के नामों को उल्लेखित करें जहां पर प्रतियां कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं). यदि प्रारूप योजना के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव है तो इसमें ऊपर वर्णित नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

तारीख.

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

प्ररूप-दो
(नियम 8 देखिए)

प्रादेशिक योजना के अनुमोदन की सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि शासन ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रादेशिक योजना ————— प्रदेश के लिए अनुमोदित की गई है तथा उक्त योजना की प्रति का निरीक्षण नगर तथा ग्राम निवेश, संबंधित संभागीय आयुक्त और कलकटर कार्यालय में किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1.
2.
2. उक्त प्रादेशिक योजना से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग.

प्ररूप-तीन
(नियम 9 देखिए)

प्रारूप प्रादेशिक योजना में उपांतरण के लिए सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुके अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्वारा, यह सूचित किया जाता है राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक में प्रकाशित प्रदेश के लिए प्रारूप प्रादेशिक योजना, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उपांतरणों सहित अनुमोदित करना प्रस्तावित करती है.

उक्त उपांतरणों के संबंध में आपत्तियां तथा सुझाव “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित में सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग।

प्रस्तुप-चार
(नियम 10 देखिए)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि (निवेश क्षेत्र) के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति,—

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। (संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों के नामों का उल्लेखित करें जहां पर प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं)।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधित जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करे।

स्थान ..
तारीख ..

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्यप्रदेश.

प्रस्तुप-पांच
(नियम 11 देखिए)

वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन का प्रस्तुप

..... (निवेश क्षेत्र का नाम), के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक से दिनांक तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी :—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

(संभागीय आयुक्त, संबंधित जिला कलक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश एवं नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों के नाम वर्णित करें जहां प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं)।

स्थान ..
तारीख ..

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्यप्रदेश.

प्ररूप-छः

[नियम 12(2)(क) देखिए]

..... (नगर का नाम) प्रारूप विकास योजना पर प्राप्त आपत्तियां तथा सुझाव समिति की अनुशंसाओं को संकलित करने का प्ररूप

1. सुनवाई का स्थान
2. दिनांक जिन पर सुनवाईयाँ हुई हों

अनुक्रमांक (1)	आपत्ति का क्रमांक (2)	व्यक्ति का नाम एवं पता (3)	सुझावों/आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण (ग्राम/खसरा/क्षेत्र के ब्यौरे सम्मिलित करते हुए प्रावधान जिसके संबंध में सुझाव/ आपत्तियां की गई हैं) (4)	जिला कार्यालय की टिप्पणियां (5)	समिति की अनुशंसाएं (6)	टिप्पणियां (7)

1. संयोजक एवं सदस्यों के नाम,
पदनाम एवं हस्ताक्षर,

- टीप.—1. कॉलम क्रमांक (1) से (4) की पूर्ति नियम 12 अनुसार की जावेगी.
 2. कॉलम क्रमांक (5) की पूर्ति समिति द्वारा सुनवाई के पूर्व की जावेगी.
 3. कॉलम क्रमांक (6) की पूर्ति नियम 12(2)(त) के प्रावधानों अनुसार संयोजक द्वारा की जावेगी.
 4. संयोजक द्वारा नियम 12(2)(न) के प्रावधानों अनुसार अनुशंसायें पृथक से हस्ताक्षरित कर दी जावेंगी.

प्ररूप-सात

[नियम 12(एक)देखिए]

समिति के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होने की सूचना

प्रति,

श्री/श्रीमती/सुश्री
पता

विषय.—समिति के समक्ष (नगर) के प्रारूप विकास योजना पर आपकी आपत्ति के संबंध में सुनवाई.

सन्दर्भ.—आपकी आपत्ति दिनांक अनुक्रमांक पर पंजीकृत.

श्रीमान्/महोदया,

नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रकाशित (नगर) की प्रारूप विकास योजना पर आपकी आपत्ति के संबंध में अनुरोध है कि नीचे वर्णित स्थान एवं समय पर अधिनियम की धारा 17-के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष व्यक्तिशः या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

स्थान

दिनांक

समय

अन्य अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज जो आपकी आपत्ति के समर्थन में हो, उसी दिन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

समिति के संयोजक का नाम
एवं पदनाम.

प्ररूप-आठ

[नियम 12(द) देखिए]

समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान (नगर का नाम) की प्रारूप विकास योजना में अतिरिक्त जानकारी
सूचीबद्ध करने का प्ररूप

अनुक्रमांक (1)	आपत्ति का क्रमांक (2)	व्यक्ति का नाम एवं पता (3)	सुनवाई की दिनांक (4)	अतिरिक्त जानकारी के ब्यौरे (5)	प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त दस्तावेज (6)

समिति के संयोजक के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम.

प्ररूप-नौ

(नियम 13 देखिए)

प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन की सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि (निवेश क्षेत्र का नाम) के लिये विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है, उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध है,—

- 1.
- 2.
- 3.

(संभागीय आयुक्त, संबंधित जिला कलक्टर एवं नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों के नामों को उल्लेखित करें जहां पर प्रारूप की प्रतियां कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं). यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप योजना के संबंध में हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित किसी जिला कार्यालय में, “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्थान
तारीख.

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

प्रूप-दस
(नियम 14 देखिए)

विकास योजना के अनुमोदन की सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में, कार्यालयीन समय के दौरान, निरीक्षण किया जा सकेगा।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

(संभागीय आयुक्त, संबंधित जिला कलक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश एवं नगरीय स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों के नामों को उल्लेखित करें जहां पर प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं)।

उक्त विकास योजना, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग।

प्रूप-ग्यारह
[नियम 15(1) देखिए]

धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विकास/परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण हेतु आवेदन प्रूप प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,
भोपाल।

मैं/हम जो निम्नलिखित भूमि के अधिकारिक भू-स्वामी/संयुक्त स्वामी हैं, धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विकास/परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :—

1. उपांतरण हेतु आवेदित भूमि का विवरण :—

(क)	जिला	:
(ख)	तहसील	:
(ग)	ग्राम	:
(घ)	खसरा नम्बर एवं प्रत्येक का रकबा	:
(ङ)	सम्पूर्ण क्षेत्र हेक्टेयर में	:

2. भू-स्वामी (यों) का विवरण :—

(क) भू-स्वामी(यों) का नाम :

(ख) डाक का पता :

(ग) ई-मेल का पता :

(घ) दूरभाष नम्बर :

(ङ) मोबाइल नंबर :

(च) फैक्स नंबर :

3. वर्तमान प्रावधान/विकास योजना में भूमि उपयोग :

4. चाहा गया उपांतरण/भूमि उपयोग :

5. दस्तावेज (स्वप्रमाणित) परिशिष्ट में सूचीबद्ध अनुसार संलग्न है।

6. मैं/हम नियम 15(13) अनुसार लेव्ही कर जमा कराने तथा उपांतरण के संबंध में रोपित की जाने वाली शर्तों का पालन करने हेतु तैयार हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भू-स्वामी(यों) के हस्ताक्षर

दिनांक	नाम
	पता

**परिशिष्ट
दस्तावेजों की सूची**

[धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न करने हेतु]

निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न होंगे :—

1. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज—

- (क) अद्यतन खसरा पांचसाला पी-दो प्ररूप (प्रमाणित)
- (ख) वर्तमान भूमि स्वामी की भूमि उपयोग बदलने के लिये सहमति (यदि आवेदक स्वामी न हो)
- (ग) यदि परियोजना प्रस्तावक संगठन/संकाय/संयुक्त उद्यम/सह-उद्यम जोखम में है

तो इसके लिये आवश्यक विधिक दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

2. नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी किया गया भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र.

3. भूमि का विवरण—

(क) प्रश्नगत भूमि का सर्वेक्षण क्रमांक दर्शाते हुये खसरा योजना और सभी तरफ की ओर भूमि की बाहरी सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले लगे हुए खसरा नम्बर भी [(प्रश्नगत भूमि लाल रंग से दर्शाई (हाईलाइटेड) जानी चाहिए)].

(ख) प्रश्नगत भूमि, मुख्य पहुंच मार्ग (विद्यमान एवं प्रस्तावित), महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, जल निकाय तथा भूमि के आसपास विद्यमान उपयोग को उपर्युक्त करते हुए रेखांक.

(ग) सर्वेक्षण योजना का मापमान 1:500 से 1:2000

(घ) सर्वेक्षण योजना प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, स्वाभाविक लक्षण, जैसे नाला, कुण्ड, वृक्ष एवं उतार, दो मीटर के अन्तराल पर कंट्रू योजना, बिजली की लाइन एवं बिजली/दूरभाष के खम्बों की जगह एवं ऐसे अन्य लक्षण जिनका समन्वय किया जाना आवश्यक हो दर्शाये जाए.

4. सामान्य परियोजना प्रतिवेदन.—भूमि स्वामित्व, अवस्थिति/स्थल योजना, विकास प्रस्ताव/अभिन्यास (शहरी योजना/यातायात योजना/पर्यावरण योजना) प्रस्तावित इमारतों के रेखाचित्र, अधोसंरचनात्मक योजना—जैसे जल प्रदाय, मल वहन, विद्युतीकरण, जल निकास, अग्नि सुरक्षा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कचरे का निपटारा, उपचार संयंत्र (जल/मलवहन/कचरा) खराब पानी का पुनः चक्रण.

5. प्रस्तावित विकास का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपाय.

6. प्रस्तावित विकास के फलस्वरूप रोजगार सृजन, लोक सुविधाओं में वृद्धि, क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता में वृद्धि तथा हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार बाबत् प्रतिवेदन.

7. परियोजना लागत का प्राक्कलन.

8. विद्यमान बाह्य अधोसंरचना जैसे-सड़क, जल प्रदाय, मलवहन आदि के संदर्भ में उन्नयन की लागत, विद्यमान बाह्य अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुधार का जो कार्य आवेदक द्वारा कराया जावेगा उसे स्पष्टतः दर्शाया जावे. आवेदक को यह भी दर्शाना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तावित विकास प्रस्ताव किन मानकों एवं मापदण्डों पर आधारित है उदाहरणस्वरूप मार्ग निर्माण हेतु इंडियन रोड कांग्रेस के मानक आदि.

9. वित्तीय प्रबंधन एवं निवेश की योजना एवं परियोजना के पूर्ण होने का समयबद्ध कार्यक्रम.

10. क्रियान्वयन के चरण.

11. भूमि स्वामी का इस आशय का शपथ-पत्र कि उसे अन्य सह भू-स्वामियों द्वारा प्रस्तावित उपांतरण संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इस आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त विवरण तथा दस्तावेज सत्य हैं.

दिनांक

भू-स्वामी(यों) के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्ररूप-बारह

[नियम 15(8) देखिए]

विकास/परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट (स्थान का नाम) विकास/परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हों तो, वह सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे दीजिये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग।

प्ररूप-तेरह

[नियम 16(3) देखिए]

विकास/परिक्षेत्रिक योजना में अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का उपबंध करने हेतु सूचना

एतद्वारा यह सार्वजनिक जानकारी हेतु अधिसूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23-ख के अधीन राज्य सरकार लागू (नगर का नाम) विकास योजना में नीचे तालिका में वर्णित क्षेत्र हेतु विकास योजना में अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात में वृद्धि करते हुए अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात अनुज्ञेय करने का प्रस्ताव करती हैः—

अनुक्रमांक	उस क्षेत्र का विवरण जिसमें अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात प्रस्तावित है	विकास योजना के अधीन लागू अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात	प्रस्तावित अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात	अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का विद्यमान तल क्षेत्र अनुपात से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कोई आपत्ति एवं सुझाव जो बढ़े हुए तल क्षेत्र अनुपात के संबंध में हों, किसी भी व्यक्ति द्वारा, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 21 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग।

प्रस्तुप-चौदह

[नियम 16(7)(क) देखिए]

विकास/परिक्षेत्रिक योजना में अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात को अनुमोदित करने हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23-ख के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि (नगर का नाम) की अंगीकृत विकास योजना में अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात से अधिक अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात निम्न तालिका में वर्णित क्षेत्र में एवं सीमा तक संचालक द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा :—

अनुक्रमांक (1)	उस क्षेत्र का विवरण जिसमें अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात मंजूर किया जा सकेगा (2)	लागू विकास योजना के अधीन अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात (3)	अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात जो मंजूर किया गया है (4)	स्वीकृत अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का विद्यमान तल क्षेत्र अनुपात से प्रतिशत (5)
.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग.

प्रस्तुप-पन्द्रह

[नियम 16(8) देखिए]

धारा 23-ख की उपधारा (4) के अधीन भूमि पर अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात का लाभ उठाने के लिए आवेदन का प्रस्तुप प्रेषक,

.....
.....
.....

प्रति,

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्यप्रदेश,
भोपाल.

महोदय,

1. मैं/हम, नीचे यथा उल्लिखित भूमि पर जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक को प्रकाशित हुई है, अतिरिक्त तल अनुपात का लाभ लेने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं :—

(क) भूमि का विवरण (जिसमें सम्मिलित है खसरा क्रमांक, गांव, तहसील

सङ्केत जिन पर/जिनमें कुछ फासले पर, उस सम्पत्ति का छोर है नाम तथा सीमायें बताते हुए स्थिति)

(ख) भूमि का कुल क्षेत्र वर्गमीटर

2. विकास योजना में अनुसेय तल क्षेत्र अनुपात

3. आवेदित अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात

4. मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता हूँ/करते हैं, अर्थात् :—

(क) भूमि का राजस्व अभिलेख (जैसा कि शीर्षक का प्रमाण हो).

(ख) प्रश्नगत भूमि का सर्वेक्षण क्रमांक दर्शाते हुये खसरा योजना/अक्स तथा भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के भीतर आने वाली लगी हुई भूमि का खसरा क्रमांक. प्रश्नगत भूमि लाल रंग में दर्शाई जाए.

(ग) नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी किया गया भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र.

(घ) आवेदन-पत्र फीस रुपये 5000/- भुगतान की पावती.

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पता

संपर्क नं.

प्ररूप-सोलह

[नियम 19(2) देखिए]

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 50 उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि (नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी का नाम) नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है, अर्थात् के लिये (क्षेत्र जिसमें योजना प्रस्तावित है खसरा क्रमांक सहित उसका विवरण).

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण)

प्रस्तुप-सत्रह
[नियम 19(3) देखिए]

धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास योजना की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 50 उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह घोषित एवं प्रकाशित किया जाता है कि (नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी का नाम) नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है, अर्थात् के लिये (खसरा क्रमांक को सम्मिलित करते हुये उस क्षेत्र का विवरण जिसमें योजना प्रस्तावित की गई है).

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, किसी प्रकार का भूमि उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, योजना में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर नहीं करेगा.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
.....
(नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण).

प्रस्तुप-अठारह
[नियम 19 (4) देखिए]

धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन नगर विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 उपधारा (3) के अधीन नगर विकास योजना का प्रारूप (योजना का नाम) क्षेत्र (खसरा क्रमांक सहित क्षेत्र का वर्णन जिसमें योजना प्रस्तावित है) के लिये तैयार किया गया है और जिसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है,—

1.
2.
3.
4.

(संबंधित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय, संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय के नाम वर्णित करें जहां पर ऐसी प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं).

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के तीस दिन के भीतर, लिखित में प्राप्त हों, विचार किया जाएगा.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
.....
(नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण).

प्रस्तुति-

[नियम 19 (5) देखिए]

धारा 50 की उपधारा (7) के अधीन अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना, अर्थात् क्षेत्र के लिए धारा 50 की उपधारा (7) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के एतद्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के लिए निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं,—

1.

2.

(नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण, के कार्यालयों एवं नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालयों के नाम उल्लेखित किए जाएं, जहां ऐसी प्रतियां उपलब्ध हैं)।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण)।

प्रस्तुति-

[नियम 20 (3) देखिए]

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी एवं अर्जित की जाने वाली भूमि के स्वामी के मध्य योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुबंध का प्रस्तुति

आज दिनांक माह वर्ष को यह अनुबंध (जो इसमें इसके पश्चात् “अनुबंध” कहलायेगा) एक ओर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का नाम एवं पता (जो इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकारी” कहलायेगा जिसमें अभिव्यक्ति सम्मिलित होगी कि उनके क्रमशः उत्तराधिकारी एवं अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिति, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो), और दूसरी ओर श्री/श्रीमती/मैसर्स (स्वामी का नाम एवं पता) (जो इसमें इसके पश्चात् “स्वामी” कहलायेगा, जिसमें अभिव्यक्ति सम्मिलित होगी कि उनके क्रमशः उत्तराधिकारी एवं अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिति, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो) के बीच किया गया है. चूंकि,—

(क) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 के अधीन प्राधिकरण सम्यक रूप से स्थापित है एवं अधिनियम की धारा 39 के अधीन नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकरण निगमित है।

या

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 के अधीन प्राधिकरण सम्यक रूप से स्थापित है एवं अधिनियम की धारा 66 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सम्मिलित हैं।

(ख) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी नगर विकास योजना बनाने के लिए प्राधिकृत है, तदनुसार यह नगर विकास योजना जिसका विवरण उपाबंध—क में उल्लिखित है, अधिसूचित है।

- (ग) विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (7) के अधीन योजना को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग दिनांक में अंतिम रूप से प्रकाशित किया था।
- (घ) अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 19 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी को योजना क्षेत्र में आने वाली भूमि, भूमि स्वामी से अनुबंध के माध्यम से या अन्यथा अर्जित करने का अधिकारी है।
- (ङ) प्राधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक दिनांक (उपाबंध—ख) द्वारा इसमें वर्णित निबंधन एवं शर्तों पर स्वामी से यह अनुबंध करने हेतु पूछा है।
- (च) उपरोक्त तथ्य कथन (ङ) के प्रत्युत्तर में स्वामी ने लिखित सहमति अपने पत्र दिनांक जो आवक क्रमांक (उपाबंध—ग) प्राप्त हुआ है को समस्त विल्लंगमों (जो इसमें इसके पश्चात् समर्पित भूमि कहलाएगी) से मुक्त करते हुए उसकी भूमि का हक तथा शांतिपूर्वक कब्जा प्राधिकारी के पक्ष में समर्पित करेगा तथा नीचे दी गई उक्त भूमि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—
- (यहां समर्पित की गई भूमि के ब्यौरों का वर्णन करें)
-
- (छ) प्राधिकारी, समर्पित की गई भूमि के बदले में अपने पत्र क्रमांक दिनांक (उपाबंध—घ) द्वारा इसमें यथावर्णित विकसित भूमि (जो इसमें इसके पश्चात् अंतरित भूमि कहलायेगी) स्वामी के पक्ष में भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त करते हुए उसका हक तथा शांतिपूर्ण कब्जा अंतरित करने हेतु लिखित में सहमत है।
- [यहां अंतरित भू-खण्ड के ब्यौरों का वर्णन करें (जैसे अंतरित भू-खण्डों का प्रत्येक का भू-खण्ड क्रमांक, अवस्थिति, आकार / क्षेत्रफल) यदि दोनों के ब्यौरों का वर्णन अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वर्णित नहीं किया जा सकता हो तो अंतरित भू-खण्डों के कुल क्षेत्रफल का वर्णन किया जाये.]
-
-
- (ज) स्वामी ने यह कथित करते हुए शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है कि समर्पित की गई भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कोई सिविल या आपराधिक मामला या किसी प्रकार का मुकदमा लंबित नहीं है, न ही वह भूमि किसी रीति में, चाहे वह कोई भी हो, भाग्यस्त है।

अतएव, एतद्वारा, पक्षकार निम्नानुसार इससे सहमत हैं :—

- परिभाषाएं तथा निवचन.—शब्द तथा अभिव्यक्तियों का जो इस अनुबंध में परिभाषित हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इसमें इसके पश्चात् क्रमशः वही अर्थ होगा जो इसमें उनके लिये दिया गया है :—
- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) ;
- (ख) “प्रयोज्य विधि” से अभिप्रेत है, भारत में विधि का बल रखने वाली कोई विधि या कोई अन्य लिखत ;
- (ग) “अनुबंध” से अभिप्रेत है, समस्त उपाबंधों सहित अनुबंध ;
- (घ) “विवाद” का अभिप्राय करार के खण्ड 26 में दिये गये अनुसार होगा ;

- (ड) “शासन” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन ;
- (च) “पक्षकार” से अभिप्रेत है, यथास्थिति, प्राधिकारी या स्वामी ;
- (छ) “पक्षकारों” से अभिप्रेत है, प्राधिकारी के साथ-साथ स्वामी, दोनों ;
- (ज) “तृतीय पक्षकार” से अभिप्रेत है, प्राधिकारी एवं स्वामी से भिन्न कोई व्यक्ति अथवा सत्ता ;
- (झ) “विकास” से अभिप्रेत है, योजना को पूर्ण करने के लिये निष्पादित किये जाने वाले समस्त कार्य और इसमें सम्मिलित होंगे किन्तु सीमित नहीं होंगे जैसे योजना क्षेत्र में सड़क निर्माण, मलवाहक, विद्युत प्रदाय, जल निकास, जल प्रदाय आदि ;
- (ज) “योजना” से अभिप्रेत है, प्राधिकरण की नगर विकास योजना जो राजपत्र में दिनांक को धारा 50 की उपधारा (7) के अधीन प्रकाशित की गई थी और इसके ऊपर उपाबंध-क में वर्णित है; और उसमें समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन भी सम्मिलित होंगे.
- (ट) “समर्पित भूमि” से अभिप्रेत है, स्वामी की भूमि जो योजना की सीमाओं के भीतर आती हो जिसका कि शांतिपूर्ण हक तथा कब्जा स्वामी प्राधिकारी को अंतरित करने के लिये सहमत है तथा उसे उपरोक्त तथ्यकथन (च) में वर्णित किया गया है.
- (ठ) “अंतरित भू-खण्ड” से अभिप्रेत है, ऐसा भू-खण्ड जिसका शांतिपूर्ण हक तथा कब्जा प्राधिकारी, स्वामी को समर्पित भूमि के बदले में देने के लिये सहमत है तथा उसे उपरोक्त तथ्य कथन (छ) में वर्णित किया गया है.

2. धारा 50 तथा पश्चात्वर्ती संशोधन, यदि कोई हों, के अधीन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार प्राधिकारी समर्पित भूमि सहित योजना सीमाओं में अवस्थित भूमि के विकास का जिम्मा लेगा.

3. अंतरित भू-खण्ड यथासंभव, समर्पित भूमि पर स्थित होंगे। तथापि, अवस्थिति प्राधिकारी के विवेक एवं बुद्धि से अवधारित की जाएगी और उसे स्वामी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तथापि, प्राधिकारी स्वामी को लिखित में संसूचित किए जाने वाले कारणों से अंतरित भू-खण्ड की स्थिति और आकार को परिवर्तित कर सकेगा।

4. प्राधिकारी के पास भू-खण्डों के चयन हेतु प्रथम अधिकारी होगा कि वह उसके द्वारा किये गये विकास के बदले में उसे सुरक्षित रखे।

5. स्वामी अंतरित भू-खण्ड की अवस्थिति एवं आकार के बारे में कोई मांग नहीं करेगा तथा इस संबंध में प्राधिकारी का एकल विवेक होगा।

6. प्राधिकारी को जब कभी धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित अभिन्यास में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता हो तब वह संचालक से अनुमोदन प्राप्त करेगा। प्राधिकारी ऐसे किसी भी परिवर्तन के बारे में, उसके कारणों के साथ स्वामी को सूचित करेगा।

7. यदि इस अनुबंध के निष्पादन के पश्चात्वर्ती किसी पक्षकार द्वारा समर्पित भूमि के संबंध में कोई विवाद किसी न्यायालय में उठाया जाता है या यदि प्राधिकारी को ज्ञात होता है कि इस अनुबंध के निष्पादन के समय कोई ऐसा विवाद अस्तित्व में है तो प्राधिकारी, न तो स्वामी को हक अन्तरित करेगा और न ही, अन्तरित भू-खण्ड का कब्जा सौंपेगा। केवल प्राधिकारी का समाधान होने के पश्चात् कि अब कोई ऐसा विवाद विद्यमान नहीं रह गया है, तब वह स्वामी को अंतरित भू-खण्ड के हक के अंतरण के लिये को विधि के अधीन आवश्यक लिखित निष्पादित करेगा।

8. यदि स्वामी का, पंजीकृत विलेख के द्वारा इसमें इसके नीचे खण्ड 10 के अधीन की गई किसी कार्यवाही के पूर्व, अपनी समर्पित की गई भूमि के हक का पंजीकृत विलेख द्वारा पूर्णतः या अंशतः अन्तरण करने का आशय हो तो, वह प्राधिकारी को ऐसे प्रस्तावित अन्तरण के ब्यौरे

प्रस्तुत करेगा और ऐसा करने की औपचारिक अनुज्ञा प्राप्त करेगा। प्राधिकारी ऐसे अन्तरण के लिये अनुज्ञा तभी दे सकेगा जबकि क्रेता इस अनुबंध के निर्बंधन तथा शर्तों का निरन्तर पालन करने की अपनी सहमति प्रस्तुत कर देता है जो कि समर्पित भूमि के हक में उसका भागीदार होने के लिये लागू होगा जैसा कि स्वामी को अनुज्ञात किया गया है। यह अनुबंध तदनुसार उपांतरित किया गया समझा जाएगा। प्राधिकारी ऐसे मामले में समर्पित की गई भूमि या उसके भाग के बारे में एक पृथक अनुबंध भी करा सकेगा जो ऐसे क्रेता को इसमें उपरोक्त यथा वर्णित बेचा गया हो।

9. स्वामी इस अनुबंध के निष्पादन के पश्चात् समर्पित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

10. स्वामी, प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर समर्पित भूमि के हक का अंतरण प्राधिकारी के पक्ष में बिना असफल हुए या विलंब किये आवश्यक लिखत के निष्पादन द्वारा करेगा। वह भूमि अभिलेखों में किये गये आवश्यक नामांतरण को प्राप्त करने में भी प्राधिकारी की सहायता करेगा।

11. स्वामी, प्राधिकारी के विरुद्ध अंतरित भू-खण्ड की अवस्थिति या आकार के संबंध में या अभिन्यास के परिवर्तन या समर्पित भूमि के हक के अंतरण में विलंब के लिये या इस अनुबंध में वर्णित अंतरित भू-खण्ड पर या इससे संसक्त या आनुषांगिक किसी अन्य विषय पर किसी विधिक कार्यवाही का अवलंब नहीं करेगा।

12. जहां स्वामी एक सोसायटी है वहां अंतरित भू-खण्ड का समस्त विलंगमों से मुक्त हक और शांतिपूर्ण कब्जा प्राधिकारी द्वारा सोसायटी को सौंपा जाएगा, न कि उसके किसी सदस्य को।

13. प्राधिकारी को भूमि के समर्पित करने के लिए आवश्यक लिखतों के निष्पादन में रजिस्ट्रीकरण और स्टांप शुल्क तथा अन्य आनुषांगिक मूल्य का व्यय तथा स्वामी को अंतरित भूखण्ड अंतरण प्राधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

14. प्राधिकारी द्वारा भू-स्वामी को अंतरित भूखण्ड का कब्जा और हक ऐसे भूखण्डों पर विकास कार्यों के पूरा होने के पश्चात् अथवा इस अनुबंध के निष्पादन के तीन वर्ष की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो सौंप दिया जाएगा। यद्यपि, यदि स्वामी यह मांग करता है कि अंतरित भूखण्डों का कब्जा तथा हक उसे पहले सौंप दिया जाए तो प्राधिकारी अपने विवेक से, यदि वह समुचित समझे विकास को पूर्ण करने के लिए या तो बिना प्रतिक्षा किए या तीन वर्ष की उक्त अवधि के अवसान होने पर सौंप सकेगा।

15. अनुबंध की प्रभावशीलता.—यह अनुबंध उस तारीख से प्रवृत्त होगा जब वह हस्ताक्षरित किया जाता है।

16. शासित विधि तथा उनका क्षेत्राधिकार.—यह अनुबंध भारत की विधियों के अनुसार और उनके द्वारा सन्निर्मित और निर्विचित होगा तथा ऐसे न्यायालय (जिले के नाम जिसमें प्राधिकारी स्थित है) पर इस अनुबंध से उद्भूत विषयों पर या उससे संबंधित विषयों पर अन्य क्षेत्राधिकार होगा।

17. भाषा.—एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को दी जाने वाली समस्त अपेक्षित सूचनाएं तथा समस्त अन्य संसूचनाएं, दस्तावेजीकरण एवं कार्यवाहियां, जो इस अनुबंध से किसी भी रूप में सुसंगत हैं या तो अंग्रेजी में या हिन्दी भाषा में लिखी जाएंगी।

18. सूचनाएं.—किसी एक पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को इस अनुबंध के अधीन या अनुध्यात विषयों से संबंधित कोई सूचना या अन्य संसूचना लिखित में होगी और,—

(क) स्वामी की दशा में, अनुलिपि द्वारा और व्यक्तिगत पत्र परिदृत करके या स्वामी द्वारा दिए गए पते पर तथा उसके द्वारा चिन्हित स्थान पर स्पीड पोस्ट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को जैसा कि स्वामी, प्राधिकारी को समय-समय पर सूचना द्वारा नामांकित करें, दी जाएगी बशर्ते कि ऐसी सूचनाएं या संचार (जिले का नाम जिसमें प्राधिकारी अवस्थित है) के बाहर हैं तो रसीदी रजिस्ट्री या स्वामी को स्पीड पोस्ट या अनुलिपि या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे स्वामी समय-समय पर प्राधिकारी को सूचना द्वारा नामांकित करे, भेजा जाएगा;

(ख) प्राधिकारी की दशा में, अनुलिपि द्वारा तथा व्यक्तिगत पत्र परिदृत करके तथा प्राधिकारी को संबोधित एक प्रति प्राधिकारी के प्रतिनिधि को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे प्राधिकारी समय-समय पर सूचना द्वारा नामांकित करें, परिदृत की जाएंगी।

(ग) किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को इसके अनुसार दी गई कोई सूचना या संसूचना, डाक के सामान्य अनुक्रम में परिदृष्ट की गई समझी जाएगी।

19. प्राधिकृत प्रतिनिधि।—(१) प्राधिकरण, समय-समय पर किसी पदधारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामांकित कर सकेगा जो कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। कोई कार्यवाही जो आवश्यक हो या अनुमत की गई हो अथवा कोई दस्तावेज जो आवश्यक हों या निष्पादन किया जाना अधिकारी द्वारा अनुमत किया गया हो, ऐसी कार्यवाही या दस्तावेज का निष्पादन अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(२) स्वामी अपने अधिकृत प्रतिनिधि को पदाभिहित कर सकेगा जो आवश्यक कोई कार्यवाही करेगा या किये जाने के लिये अनुज्ञात करेगा तथा इस अनुबंध के अधीन निष्पादित किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज लेगा या अनुज्ञात करेगा।

20. सम्पूर्ण अनुबंध।—यह अनुबंध तथा उपानुबंध मिलकर एक पूर्ण तथा इसके विषय पर पक्षकारों के मध्य अनुबंध की शर्तों पर पूर्ण तथा अन्य रूप से कथन होगा और इसके आगे कोई संशोधन या उपांतरण तब तक विधिमान्य तथा प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसे उपांतरण या संशोधन पर पक्षकार लिखित में सहमत न हो और संबंधित पक्षकारों द्वारा विशेष रूप से सशक्त किए गए व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित न हो। समस्त पूर्व लिखित या मौखिक समस्त प्रस्ताव या इस अनुबंध से संबंधित सभी प्रकार की अन्य संसूचनाएं निराकृत तथा प्रत्याहत की जाएंगी।

21. अनुबंध का समापन।—राज्य सरकार या किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा उपांतरित या निराकृत योजना की दशा में यह अनुबंध स्वामी को लिखित में सूचना के अधीन प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जाएगा। ऐसी दशा में समर्पित भूमि का शांतिपूर्ण हक और कब्जा, यथाशक्य शीघ्र, स्वामी को लौटा दिया जाएगा और जहां प्राधिकारी के नियंत्रण से परे कारणों ऐसा करना संभव नहीं है, स्वामी को ऐसे प्रतिकर का असंदाय किया जाएगा जैसा कि प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए। प्राधिकारी प्रतिकर का निर्धारण करते समय स्वामी के दावों पर विचार करेगा और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

22. अनुबंध का उपांतरण।—इस अनुबंध के निबंधन तथा शर्तों का उपांतरण प्राधिकारी तथा स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित लिखित अनुबंध द्वारा ही किया जा सकेगा। इसमें इसके ऊपर खण्ड 19 में वर्णित प्रतिनिधित किसी भी ऐसे उपांतरण को करने के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे।

23. अपरिहार्य घटना—

(१) परिभाषा.—

(क) “अपरिहार्य घटना” से अभिप्रेत है कोई घटना जो प्राधिकारी के सम्यक नियंत्रण से परे हो, और जो अनुबंध अधीन प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन असंभव बना दे या इतना अव्यवहारिक कि परिस्थितियों का युक्तियुक्त विचार करना असंभव हो जाए और इसमें सम्मिलित है (किन्तु इतने तक सीमित नहीं) युद्ध, दंगे, नागरिक उपद्रव, भूकंप, आग, विस्फोट, तूफान, बाढ़ या अन्य विपरीत मौसमी परिस्थितियां हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्यवाही (जहां ऐसी हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्यवाही का निवारण पक्षकार के नियंत्रण में हो, को छोड़कर), अधिहरण या सरकारी एजेंसी अथवा न्यायालयीन कार्यवाही।

(ख) अपरिहार्य घटना में ऐसी कोई घटना सम्मिलित नहीं होगी,—

(एक) जो प्राधिकरण या उसके अभिकर्ता या कर्मचारियों की उपेक्षा या आशयपूर्ण कार्यवाही द्वारा पारित किया गया है; और

(दो) कोई ऐसी घटना जो पहले से ही पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा में की गई हो इस अनुबंध के पूर्ण होने के समय विचार में लिया जावेगा।

- (ग) अपरिहार्य घटना में निधियों की अपर्याप्तता या इसके अधीन अपेक्षित किसी भुगतान को करने में असफल होना सम्मिलित नहीं होगा।
- (2) अनुबंध का भंग न होना.—प्राधिकारी द्वारा उसकी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहने को इस अनुबंध के अधीन कोई भंग या व्यतिक्रम नहीं समझा जावेगा जहां तक कि ऐसी असमर्थता अपरिहार्य घटना के कारण उद्भूत हुई होः
परन्तु ऐसी किसी घटना द्वारा प्रभावित पक्षकार ने इस अनुबंध के निबंधन तथा शर्तों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से समस्त समुचित सावधानियां, सम्यक सतर्कता तथा समुचित वैकल्पिक उपाय बरते हों।
- (3) किये जाने वाले उपाय—
- (क) प्राधिकारी, यदि अपरिहार्य घटना न्यूनतम देरी के साथ घटित होना प्रमाणित हो तो उसकी बाध्यताओं को पूरा करने में उसकी अयोग्यता को दूर करने के समस्त समुचित उपाय करेगा।
- (ख) प्राधिकरण ऐसी घटना के यथासंभव शीघ्र, स्वामी को अधिसूचित करेगा और किसी भी दशा में ऐसी घटना घटित होने से 14 दिन से अनधिक के भीतर ऐसी घटना की प्रकृति तथा कारणों के साक्ष्य उपलब्ध कराएगा और जैसे ही यथाशक्य शीघ्र सामान्य परिस्थितियों के प्रव्यावर्तन की सूचना देगा।
- (ग) पक्षकार, किसी अपरिहार्य घटना के परिणाम को कम करने हेतु समस्त युक्तियुक्त उपाय करेगा।
- (4) समय का विस्तार.—कोई कालावधि, जिसके भीतर प्राधिकारी, इस अनुबंध के अनुसरण में कोई कार्यवाही या कोई कार्य पूर्ण करने का दायी था, उस समय के बराबर कालावधि के लिये, जिसके दौरान वह अपरिहार्य घटना के परिणाम के रूप में, ऐसी कार्यवाही करने में असमर्थ था, विस्तार किया जाएगा।
- (5) परामर्श.—प्राधिकारी, अपरिहार्य घटना के घटित होने के परिणामस्वरूप, इस अनुबंध के अधीन 30 दिन व अपश्चात् इसकी बाध्यताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो, तो पक्षकार ऐसी परिस्थिति में समुचित उपायों पर सहमति के लिये आपस में परामर्श करेंगे।

24. सद्भावना.—पक्षकार, इस अनुबंध के अधीन एक दूसरे के अधिकारों के संबंध में सद्भावपूर्वक कार्य करने और इस अनुबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये समस्त समुचित उपाय अपनाएंगे।

25. अनुबंध का प्रचालन.—पक्षकार को यह अभिज्ञात है कि इस अनुबंध में प्रत्येक आकस्मिकता के लिये जो कि इस अनुबंध के जीवनकाल के दौरान उद्भूत हो, उपलब्ध कराना संभव नहीं है और पक्षकार एतद्वारा सहमत हैं कि उनका आशय है कि अनुबंध का प्रचालन उनके दोनों के हितों का अहित किये बिना ईमानदारी से हो सके और यह कि इस अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षकारों की बीच यह विश्वास होता है कि इस अनुबंध का प्रचालन अनुचित रूप से हो रहा है तो पक्षकार अपने उत्तम प्रयास करके ऐसी कार्यवाही जो कि ऐसी अनुचितता के कारण हटाया जाना आवश्यक हो, सहमत होंगे किन्तु इस खण्ड के अनुसरण में किसी कार्यवाही पर सहमत होने में असफल रहने पर एतद्धीन खण्ड 26 के अनुसार माध्यस्थम् के अधीन होगी।

26. विवाद का समाधान—

- (1) सौहार्दपूर्ण समझौता.—पक्षकार इस अनुबंध से उद्भूत होने वाले समस्त विवादों या उसके निर्वचन के संबंध में सौहार्दपूर्ण समझौते के उनके उत्तम प्रयासों का प्रयोग करेंगे।
- (2) पक्षकारों के बीच कोई विवाद, भिन्नता या किसी भी प्रकृति का वाद विवाद इस अनुबंध के अधीन उद्भूत या पुराना या के संबंध में (जिसमें उसका निर्वचन सम्मिलित है) होता है और एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाद लिखित में अधिसूचित किया जाता है तो प्रथम दृष्टया यह प्रयास किया जाए कि विवाद सौहार्दपूर्ण रीति में निराकृत हो जाए।

(3) यदि पक्षकार अनुबंध के अधीन या उसके संबंध में उद्भूत समस्त विवादों को सुलझाने में उनके बेहतर प्रयासों का उपयोग तत्परता, न्यायतः तथा सद्भावना से करता है और आगे सहमत होता है कि प्रत्येक को सामान्य व्यापारिक समय में समस्त अविशेषाधिकार अभिलेख, सूचना तथा किसी विवाद से संबंधित डाटा युक्तियुक्त रूप से उपलब्ध कराएगा। अभिलेख, जानकारी तथा आकड़े उपलब्ध कराने के लिये भी सहमत होते हैं।

27. माध्यस्थम।— कोई भी विवाद जो सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाया नहीं जाता है, प्राधिकारी के बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपना विनिश्चय 60 दिन के भीतर देगा।

28. भूमि अर्जित करने का अधिकार।— इसमें इसके ऊपर खण्ड 10 के अधीन समर्पित की गई भूमि का हक होने के पूर्व यदि किसी भी समय प्राधिकारी को अन्तरित किया जाता है तो इस अनुबंध के अधीन उसकी बाध्यताओं की पूर्ति करने में असफल रहता है, तो प्राधिकारी, इस संबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए अध्यारोही, स्वामी को, अनुबंध के समाप्त होने की सूचना भेजकर उससे पूछते हुए कि बाध्यता की प्रतिपूर्ति 15 दिन के भीतर कर दी जाएगी। जिसके असफल रहने पर अनुबंध समाप्त माना जावेगा। तत्पश्चात् प्राधिकारी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 56 के अधीन प्रश्नगत भूमि के अर्जन हेतु कलक्टर से अनुरोध कर सकेगा। साक्षी जिनकी उपस्थिति में, पक्षकारों ने इस अनुबंध में अपने-अपने नाम के सामने हस्ताक्षर उपरोक्त लिखित दिन और वर्ष को किये हैं।

हस्ताक्षरित, मुद्रित तथा परिदृष्ट

1. प्रधिकारी के लिये और उसकी ओर से (प्राधिकारी का व्यौरा दीजिए)—

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता

2. स्वामी के लिये और उसकी ओर से—

हस्ताक्षर

नाम

पता

की उपस्थिति में : (साक्षी)—

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

नाम

पदनाम

पदनाम

पता

पता

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्र. एफ 3-183-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3-183-2012-बत्तीस, दिनांक 14 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 14th September 2012

NOTICE

No. F 3-183-2012-XXXII.—In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section 85, the State Government hereby makes the following Rules, the same having been previously published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated 16th July 2012 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

RULES

CHAPTER - I

PRELIMINARY

- 1. Short title.**- These rules may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012.
- 2. Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Act” means the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);
 - (b) “Convenor” means an officer appointed under clause (i) of sub-section (1) of section 17-A of the Act;
 - (c) “Form” means a Form appended to these rules;
 - (d) “Population” means the population as per the latest published census report